यह कि वादपत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याग्रशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

क- कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से वादीगण के कब्जा काश्त की वादपत्र की चरण सख्या 3 (क) में वर्णित कृषि भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम की जावे तथा मुताबिक खाता विभाजन राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने दावा में जवाबदावा सहमति का पेश कर मुताबिक सहमति दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व विभाजनात्मक डिक्री प्रदान की जाती है कि:-

वादीगण को ब.हि.ब. विभाजन में प्राप्त व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 20 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 36/37 के पत्थर नंबर 98/194 (12) के किला नंबर 11, 12, 13, 19/0.127, 20/0.127, कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी।

चक 22 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 28/63 के पत्थर नंबर 97/194 (15) के किला नंबर 7, 15/0.127, 15/2/0.019, 16/1/0.108, 16/2/0.019, 17 से 19 प्रत्येक 0.126 है0, 22 से 24, 25/1, 25/2 कुल 1.917 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता। इसी अनुसार वादी का खाता अलग व रकमराज अलग कायम किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़